भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1576
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2021

दूरसंचार क्षेत्र हेतु उत्पादन संबंध प्रोत्साहन

1576. प्रो.अच्युतानंद सामंत:
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार नेटवर्किंग उत्पादों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का ब्यौरा और दायरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत विनिर्माण के लिए किस प्रकार के उत्पाद पात्र होंग;

(ख) सरकार द्वारा पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में अपेक्षित कितना परिव्यय प्रस्तावित है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए संभावित फर्मों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में सरकार कर के बोझ को कम करने और विशेषकर 5जी अधिग्रहण के लिए या 5जी प्रौद्योगिकी को शुरू करने की और 5जी प्रौद्योगिकी के विस्तार में अधिक तेजी लाने के लिए किसी अन्य प्रोत्साहन या छूट पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) से (घ) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को सरकार द्वारा पांच साल की अवधि में 12195 करोड़ रू. के कुल बजटीय परिव्यय से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

******